मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 3-4/2012/26-2/ 1209. भोपाल दिनांक 31-05-2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषयः— मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि युक्तियुक्तकरण के संबंध में ।

संदर्भः— म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 3-4/2012/26-2/2012 दिनांक 01-01-2014

—0—

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, परित्यक्तता (विधवा एवं परित्यक्तता को एक बार पुनः विवाह हेतु) के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने वाली कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 25,000/— की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कन्या को उपलब्ध कराई जा रही सहायता के विभिन्न मदों को युक्तियुक्तरण करते हुये कन्या की खुशहाली और उसको दी जा रही सहायता राशि के सदुपयोग की दृष्टि से दी जा रही सहायता का पुनर्निर्धारण किया जाता है :—

1. कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा रूपये 6,000/— के स्थान पर रूपये 10,000/—।
2. विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री { मंगलसूत्र, बिछिया,पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन} रूपये 5,000/—। (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा)
3. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिये रू0 7,000/— (यह राशि कन्या के स्वयं के बचत खाते में विवाह के एक दिन बाद अनिवार्य रूप से हस्तांतरित की जाये)।
4. सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिये निकाय यथा— नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 3000/—।

यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2014 से प्रभावशील होगा।

31/5/14
(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक/एफ 3–4/2012/26–2/ 1210 भोपाल दिनांक 31.5.14
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म0प्र0 शासन, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क म0प्र0 भोपाल ।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, भोपाल निर्देशानुसार सावधि जमा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग